



राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)
पीठासीन अधिकारी-श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 11/2018
जी0सी0एम0एस0 संख्या- 2018/00028
दायर दिनांक- 22.03.2018
निर्णय दिनांक- 12.10.2023

1. लिछमन उर्फ लछमण (लक्ष्मण) पुत्र बिरदा जाति गुर्जर नि0 ग्राम बुहारू तहसील रूपनगढ़
.....प्रार्थी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र रामनारायण
2. हनुमान पुत्र. रामनारायण
3. राजेन्द्र पुत्र रामनारायण
सर्वजाति ब्राह्मण, सर्वनिवासी ग्राम बुहारू तहसील रूपनगढ़
4. बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़
5. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़ जिला अजमेर
6. उपपंजीयक रूपनगढ़

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-:1. श्री रामदेव गुर्जर अधि0 प्रार्थी

2. श्री गणेश प्रजापति अधि0 अप्रार्थी सं. 1 से 3

:-निर्णय:-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने धारा 88, 188 रा0का0अधि0 के तहत न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थी के कब्जे, काश्त, उपयोग-उपभोग एवं कयशुदा आराजी ग्राम बुहारू के वर्तमान ख0न0 89 रकबा 107 बीघा 16 बिस्वा बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता व पिता के सगे भाई मोहन द्वारा दिनांक 27.06.1973 को पूर्ण प्रतिफल राशि अक्षरे चार हजार रूप्ये अदा कर खरीद कर रजिस्टर्ड विक्रयपत्र निष्पादित पंजिकृत विक्रयपत्र उपपंजीयक कार्यालय किशनगढ़ में पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 70 पृष्ठ संख्या 73 से 76 पृष्ठ संख्या 455 पर दिनांक 16.08.1973 को पंजीबद्ध किया गया है। विक्रित दिनांक को ही प्रार्थी को वर्णित आराजी का भौतिक कब्जा प्रदत्त कर दिया था तब से प्रार्थी निरंतर अबाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की खरीदशुदा व वैध स्वामित्व प्राप्त आराजी का विक्रित खसरा नम्बर 89 है तत्पश्चात मूल खातेदार अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारियों द्वारा अन्य खातेदार को बैचान करने से विखण्डित खसरा नम्बर जो वर्तमान खसरा नम्बर 89/1 है जिसका रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा है। जिसमें से प्रार्थी 20 बीघा भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी खरीदशुदा आराजी मूल ख0न0 89 जिसके विखण्डित खसरा नम्बर 89/1 में से 20 बीघा भूमि पर प्रार्थी सतत् रूप से काबिज काश्त है एवं 20-25 वर्ष पूर्व स्वयं की आय से अधिक अन्न उत्पादन एवं उन्नत कृषि की मंशा से चाह (कुआं) खुदवाया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारी/पिता रामनारायण व सगे भाई मोहनलाल द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर प्रार्थी के पक्ष में 20 बीघा भूमि का विक्रयपत्र निष्पादित करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पूर्वाधिकारी/भ्राता मोहनलाल के नाऔलाद फौत होने से सम्पूर्ण शेष भूमि का नामान्तरकरण संख्या 186 दिनांक 06.06.1992 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के पिता रामनारायण के पक्ष में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज हो गया है।

A — 12.10.23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थी विक्रयशुदा आराजी वहैसियत स्वामित्व धारण व्यक्ति है। प्रार्थी वकील की ओर से निवेदन है प्रार्थी की कयशुदा आराजी ग्राम बुहारू के वर्तमान ख0न0 89 रकबा 107 बीघा 16 बिस्वा में से 20 बीघा भूमि (विखण्डित ख0न0 89/1 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा में) प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित कब्जे-काश्त में बाधाकारित नही करने व उक्त आराजी का बैचान नही करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पेश किया गया, जिसमें अलग से निर्णय पारित किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ (अप्रार्थी संख्या 5) द्वारा प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम बुहारू की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 221 में ख0न0 89/1 रकबा 48-16 बीघा राधेश्याम हनुमान राजेन्द्र पिता रामनारायण कौम ब्राहमण सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा हरमाड़ा के नाम दर्ज है। प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदशुदा भूमि है। रजिस्टर्ड विक्रय लेखपत्र की दिनांक से ही प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र का अप्रार्थीगण द्वारा कोई खंडन नहीं किया है। विक्रय लेख पत्र में प्रार्थी को कब्जा संभलाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि में उपयोग-उपभोग, बैचान आदि नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बेचानकर्ता के मृत्यु पश्चात इतने वर्षों तक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश क्यो नही किया एवं नामान्तरकरण क्यो नहीं खुलवाया। वकील अप्रार्थी रजिस्टर्ड विक्रय लेख पत्र को फर्जी बताया एवं प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र को अपनी बहस मानने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान न्यायिक दृष्टांत 2021 RBJ 131 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के प्रकरण गिरधारी बनाम कमला से संबंधित व 2017 DJN (SC) 574 SUPREME COURT OF INDIA पेश किये।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अभिभाषक बहस पर मनन किया। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार कयशुदा भूमि पर प्रार्थी काबिज काश्त है। अप्रार्थी द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के फर्जी होने संबंधी कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किये है। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर ग्राम बुहारू के ख0न0 89/1 रकबा 48 बीघा 16 बिस्वा (वर्तमान ख0न0 89 रकबा 7.8958 है0) में से 20 बीघा (प्रार्थी की खरीदशुदा आराजी) में दिनांक 05.07.2018 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

12.10.23
सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.) रूपनगढ़ (अजमेर)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

